

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम -हिण्डौन जिला करौली
इजलास

पीठासीन अधिकारी :-

प्रकरण संख्या:-78/2019

हेमराज गूर्जर, R.A.S.

दायर दिनांक:-17.06.2019

जीसीएमएस नं. 2019/00106

1. सावित्री उम्र 49 साल धर्मपत्नि स्व0 रामसिंह जाति गुर्जर निवासी गुजरों का खेडा तहसील हिण्डौन जिला करौली
2. गीता उम्र 27 साल पत्नि श्री रामकेश पुत्री रामसिंह जाति गुर्जर निवासी बडा गांव खेडला तहसील महवा जिला दौसा राज0।
3. सुपीता उम्र 24 साल धर्मपत्नि धर्मवीर पुत्री रामसिंह जाति गुर्जर निवासी बडागांव खेडला तहसील महवा जिला दौसा।

—वादीगण-3

बनाम

1. रूपसिंह उम्र 69 साल पुत्र गिरधर
2. शिवसिंह उम्र 42 साल पुत्र रूपसिंह
3. विजेन्द्र सिंह उम्र 39 साल पुत्र रूपसिंह
4. दर्शनसिंह उम्र 34 साल पुत्र रूपसिंह
5. रामवीर उम्र 25 साल पुत्र रूपसिंह

जाति गुर्जर निवासी गूर्जरों का
पुरा तन खेडा तहसील हिण्डौन


—प्रतिवादीगण-05

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा न0 78/2019

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे हाजिरी श्री एस एस शर्मा एडवोकेट मिन कानिव मुदई रुबरु प्रतिवादीगण एकपक्षीय कार्यवाही मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा को पाबंद किया जाते कि वादीगण को उनकी आराजीयात वादपत्र खसरा न0 467 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम खेडा तहसील हिण्डौन में शांति पूर्वक काश्त करने देवे। वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे, वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त में कोई दखलदांजी नहीं करे, प्रतिवादीगण ऐसा कोई कार्य ना तो स्वयं करे ना ही किसी अन्य से करावे जिससे वादीगण के हक हकूको पर प्रभाव पड़े। वादी का दावा खिलाफ प्रतिवादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 स्वीकार किया जाता है। पक्षकाराण अपना-अपना खर्चा स्वयं वहन करेंगे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख १-५-२०२५ को यह डिक्री जारी की गई।


(हेमराज गूर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन (जिला करौली)

8/1/25